**विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर।**

| **प्रश्न** | **उत्तर** |
|---|---|
| 17(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड सकरन की ग्राम पंचायत साण्डा कस्बे में 16वीं शताब्दी का निर्मित शिवाला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसे एक धरोहर मानकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है ? | उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किसी जीर्ण-शीर्ण शिवाला/धार्मिक भवन को धरोहर मानकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके संरक्षित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है। |
| (ख) यदि हाँ, तो इस धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके संरक्षित करायेंगे ? | उपरोक्तानुसार। |
| (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? | प्रश्न ही नहीं उठता। |
| (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? | उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित ऐसे स्थल जहां पर भारी मात्रा में पर्यटकों/श्रद्धालुओं का आगमन होता हो, वहाँ पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना संबंधी मूलभूत सुविधाओं को, विभागीय आय-व्ययक में योजना मद में उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार स्थल पर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में सम्बन्धित स्थल पर मूलभूत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कोई योजना उ0प्र0 पर्यटन विभाग में प्रस्तावित नहीं है। |

**जयवीर सिंह**
**मंत्री**